

सी०एल०-2 अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

जिला -	लाइसेंस क्रमांक -
--------	-------------------

1. फर्म/कंपनी का नाम.....
2. आवेदक का नाम.....
3. पिता/पति का नाम.....
4. आयु
5. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष...../...../.....
6. लिंग-पुरुष/महिला.....
7. फर्म/कंपनी/आवेदक का पैन नम्बर.....
8. आधार कार्ड नम्बर.....
9. आई०टी०आर० का विवरण.....
10. TIN/GST नम्बर
11. Email ID (ईमेल आईडी)
12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)
13. आवेदक का स्थाई पता.....

<p>आवेदक का नवीनतम प्रमाणित फोटोग्राफ</p>

<p>मकान नम्बर.....</p> <p>नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....</p> <p>थाना/पटवारी पट्टी.....</p> <p>तहसील/उप तहसील.....</p> <p>जिला.....उत्तराखण्ड।</p> <p>दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....</p> <p>मोबाईल नम्बर</p>

14. सी०एल०-2 का विवरण

<p>मकान नम्बर.....</p> <p>नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....</p> <p>थाना/पटवारी पट्टी.....</p> <p>तहसील/उप तहसील.....</p> <p>जिला.....उत्तराखण्ड।</p> <p>दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....</p>

W

मोबाईल नम्बर

चौहद्दी एवं जियो लोकेशन का विवरण.....

15. (क) आवेदन का विवरण -

- i. (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये (अंको में).....
.....(शब्दों में).....
- ii. धरोहर धनराशि रूपये (अंको में).....(शब्दों में).....
- iii. प्रतिभूति धनराशि रूपये (अंको में).....(शब्दों में).....

16. जमा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट का विवरण (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 21.02.2024 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे):-

(1) जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट का विवरण:-

- (अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.....
- (ब) बैंक का नाम.....
- (स) बैंक ड्राफ्ट की राशि.....

(2) आवेदन शुल्क की राशि के ड्राफ्ट का विवरण:-

- (अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.....
- (ब) बैंक का नाम.....
- (स) बैंक ड्राफ्ट की राशि.....

(3) आवेदन पत्र के साथ संलग्न पहचान व अन्य से सम्बन्धित अभिलेखों का विवरण:-

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक पुत्र/पत्नी/पुत्री..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिन्न हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अनुज्ञापन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूंगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री / श्रीमति / कुमारी.....पुत्र / पत्नी / पुत्री.....
.....निवासी.....सी०एल०-2

हेतु प्रार्थना पत्र उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया। जिसे रजिस्टर के क्रमांक..... पर दर्ज किया गया।

दिनांक.....

कार्यालय की सील


जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.....



**देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों (सी०एल०-2) हेतु शपथ पत्र का प्रारूप
(वर्ष 2024-25 हेतु)**

1. यह कि शपथकर्ता..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
निवासी..... जनपद..... आयु..... द्वारा
जनपद..... के लिये सी०एल०-2 थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन किया है।
2. यह कि शपथकर्ता उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है।
3. यह कि शपथकर्ता ने देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन हेतु संबंधित आसवनी
..... से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया है, जिसकी सत्यापित प्रति
आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
4. यह कि शपथकर्ता ने थोक अनुज्ञापन हेतु व्यक्तिगत / फर्म की श्रेणी में आवेदन किया है।
5. यह कि शपथकर्ता द्वारा जनपद..... में थोक अनुज्ञापन के लिये केवल एक आवेदन
किया है।
6. यह कि शपथकर्ता पात्र आवेदक है तथा यह भी कि वह संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली
2024 एवं सुसंगत प्राविधानों का पालन करेगा।
7. यह कि उक्त अनुज्ञापन हेतु शपथकर्ता के पास नियमानुसार आवश्यक परिसर उपलब्ध है।
8. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रदेश में मात्र एक सी०एल०-2 अनुज्ञापन का संचालन किया जाएगा।
9. यह कि शपथकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई
आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी अधिनियम-1985 के अंतर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित
नहीं किया गया है।
10. यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी
आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या
महिला हो। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-7 के आलोक में अधिनियम के
प्रयोजनार्थ शपथकर्ता के विक्रेता/पत्नी/लिपिक/पति आदि के कब्जे से पाये गये अवैध मादक पदार्थ
अथवा उनके आपराधिक कृत्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
11. यह कि शपथकर्ता पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उसे बकाये दारों की
काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के
अंतर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।
12. यह कि शपथकर्ता राज्य में किसी देशी फुटकर मदिरा दुकान का अनुज्ञापी नहीं है।
13. यह कि शपथकर्ता ऋणशोधक है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये
आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है जिसका ब्योरा यदि अपेक्षित होगा तो लाइसेंस प्राधिकारी को
उपलब्ध करा देगा। यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण पत्र में धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की
प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किया है।
14. यह कि शपथकर्ता सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त
नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से



असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदत्त किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये। शपथकर्ता द्वारा मात्र वैध मदिरा के थोक व्यापार का कार्य किया जायेगा। शपथकर्ता द्वारा अपने विक्रेताओं पर सदैव सतर्क दृष्टि रखी जायेगी।

15. यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 नियमों एवं को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों का पालन करेगा।

उपरोक्त कमांक-1 से 14 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो शपथकर्ता का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।

दिनांक.....

स्थान.....

(हस्ताक्षर शपथकर्ता)

W